**छत्तीसगढ़ शासन,**
**जल संसाधन विभाग,**
**मंत्रालय,**
**महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर**
**जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 3874 /एफ–2–39/31/एस–2/2015, नवा रायपुर, दिनांक 26/11/2020

प्रति,

**मुख्य अभियंता,**
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– **रायपुर/दुर्ग जिले के महादेवघाट एनीकट के परिक्षेत्र को विकसित तथा सुरक्षित किये जाने का कार्य एवं संस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– 1. प्र.अ. का पत्र क्र.–1045/बो.प्र./RAA/2017/13135, रायपुर, दिनांक 24.08.2017.
2. प्र.अ. का पत्र क्र.–1045/बो.प्र./ RAA/2017/7503, नवा रायपुर, दि.18.08.2020

––00––

राज्य शासन एतद् द्वारा रायपुर/दुर्ग जिले के महादेवघाट एनीकट के परिक्षेत्र को विकसित तथा सुरक्षित किये जाने का कार्य एवं संस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 2003.41 लाख (रुपये बीस करोड़ तीन लाख इकतालीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना अन्तर्गत किड्स प्ले ग्राउण्ड, फाउन्टेन एवं प्रकाश व्यवस्था युक्त गार्डन, पार्किंग, फूड जोन, स्ट्रीट लाईट एवं दोनों तरफ लेण्ड स्केपिंग युक्त एप्रोच रोड, नदी किनारे फेंसिंग, नदी के दोनों तटों को जोड़ने हेतु सस्पेंशन ब्रिज एवं अन्य कार्य प्रस्तावित है।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।

5. योजना की स्वीकृति मांग संख्या–45–लेखा शीर्ष–4702(5059), एनीकट/स्टापडेम निर्माण के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक–796/बजट–2/वित्त/चार/2020, दिनांक 19.11.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार**

**(वृन्दावन सेन)**
**अवर सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**जल संसाधन विभाग**

\\10.132.49.135\e\D.2-WRD 2017\AARAA.199.docx -.docx

पृ.क्र. 3875 / एफ–2–39 / 31 / एस–2 / 2015, नवा रायपुर, दिनांक 26/ 11 / 2020

प्रतिलिपि :–

1 अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।

7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।

8 कलेक्टर, जिला–रायपुर / दुर्ग (छ.ग.)।

9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।

10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर ।

11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।

12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)।

13 अधीक्षण अभियंता, महानदी मण्डल रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)।

14 कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र.–1 रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15 आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
27 NOV 2020
कक्ष........

SE (Bodh)
28/XI
Eire

702
2/12/20

\\10.132.49.135\e\D.2-WRD 2017\AARAA.199.docx -.docx